न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी सांचौर
व इजलास - मुरारीलाल शर्मा R.A.S
प्रकरण संख्या 8/17

प्रार्थी
गोकलाराम S/o दुर्गाराम
सूथार अरणाय

अप्रार्थीगण
1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सांचौर
2. भगवानाराम S/o दुर्गाराम
सूथार अरणाय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट

उपस्थित :- 1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सूथार
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राज पैरोकार उपस्थित
3. अप्रार्थी भगवानाराम की तरफ से अधिवक्ता मदन भाँखरी उपस्थित

निर्णय दिनांक 7.3.18

1. उक्त प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 14.11.17 को इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 RLR Act के तहत पेश कर निवेदन किया की वाके मौजा ग्राम सरहद अरणाय परवार हल्का अरणाय मे मुझ प्रार्थी की पैतृक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 913 रकबा 2.89 है० व ग्राम सूथारो का गोलिया के खसरा नम्बर 978 रकबा 0.70 है० खसरानम्बर 1014 रकबा 1.30 है० ख०न० 1015 रकबा 0.10 है० ख०न० 1016 रकबा 0.25 है० आयी हुई है। तथा सह खातेदार लडमानाराम की ना औलाद मृत्यु होने पर उसके निकटतम व कानूनी वारिश प्रार्थी गोकलाराम व अप्रार्थी भगवानाराम होने से मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने से प्रार्थना पत्र पेश है। इस प्रकार उक्त अराजी प्रार्थी पिता दुर्गाराम के के नाम खातेदारी कब्जा काश्त की थी जिनके फौत होने पर प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज हुई। उक्त अराजी में दुर्गाराम के फौत होने पर लिपिकीय भूल से प्रार्थी के नाम इन्द्राज प्रविष्टि करते वक्त गोकलाराम का लिपिकीय भूल से मफा लिख दिया गया। प्रार्थी गोकलाराम कभी भी मफा नही रहा है। तथा नही मफा नाम से कोई परिवार का सदस्य है। प्रार्थी का वास्तविक नाम गोकलाराम है जिसके समर्थन मे मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड पेन कार्ड, जोब कार्ड, आयाशाह कार्ड इत्यादि तमाम दस्तावेजो मे गोकलाराम दर्ज है। लिपिकीय भूल से मफा लिखा गया है जो एक दुरस्ती योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

2. उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनेपर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार, सांचौर व अप्रार्थी भगवानाराम ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र का समर्थन किया। एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अनुशंषा की।

3. उक्त अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। राज पैरोकार व अप्रार्थी भगवानाराम ने भी प्रार्थना पत्र का समर्थन किया। जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुनी। पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजो, एवं प्रार्थना पत्र का अध्ययन एवं अवलोकन किया। जिसके पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता हू।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, सांचौर को आदेश किया जाता है की बावै भौंजा सरहद अरणाय, खूमारो का गोलिया परवार हल्का अरणाय मे स्थित प्रार्थी की पैतृक एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 913 रकबा 2.89 है०, 978 रकबा 0.70 है 1014 रकबा 1.30 है०, 1015 रकबा 0.10 है० व ख०न० 1016 रकबा 0.25 है० मे मफा बमफाराम की जगह गोकलाराम वास्तविक दुरुस्त किया जाता है। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो। निर्णय दोनो पक्षो की उपस्थिति में खुले न्यायालय मे सुनाया गया। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
(मुरारी लाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर
जिला जालोर (राज०)